

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.10(213)नविवि/3/2008पार्ट-II

जयपुर, दिनांक 22 SEP 2022

आदेश

माउण्ट आबू (ईको सेन्सिटिव जोन) भवन विनियम-2019 के अन्तर्गत एस-1 क्षेत्र में भवन निर्माण स्वीकृति हेतु प्राप्त होने वाले प्रकरणों के निस्तारण हेतु निम्नानुसार समिति गठित की जाती है।

1. सचिव, नगर विकास न्यास, आबू
2. उपखण्ड अधिकारी, माउण्ट आबू
3. आयुक्त, नगर परिषद, माउण्ट आबू
4. उप नगर नियोजक/न्यास में पदस्थापित वरिष्ठतम नगर नियोजक

संयोजक
सदस्य
सदस्य
सदस्य सचिव

राज्यपाल की आज्ञा से,


(अवधेश सिंह)

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, नगर विकास न्यास, आबू।
6. एस.डी.एम., माउण्ड आबू।
7. आयुक्त, नगर परिषद, माउण्ड आबू।
8. उप नगर नियोजक/न्यास में पदस्थापित वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, आबू।
9. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

11
संयुक्त शासन सचिव-तृतीय